// न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा) बेरला, जिला बेमेतरा //

रा.प्र.क./2025 0523160000 /अ–62/ वर्ष 2024–25

कौशल साहू पिता जेठू साहू
निवासी सरदा तह बेरला
जिला–बेमेतरा (छ0ग0) ——————————आवेदक

–:विरूद्धः–

छ0ग0 शासन

आदेश
(पारित दिनांक 21 May 25)

आवेदक कौशल साहू पिता जेठू साहू निवासी ग्राम सरदा तह बेरला जिला बेमेतरा छ.ग द्वारा ग्राम सरदा में अपने भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि खसरा नं 979/6 रकबा 0.04हे में स्थित एव नग ईमली की वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति बाबत् आवेदन पेश किया गया।

स्थित एव नग ईमली की वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति बाबत् आवेदन पेश किया गया। उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी से प्रतिवेदन लिया ।

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साजा जिला बेमेतरा (छ0ग0) पत्र क्रमांक/367/साजा दिनांक 17.04.2025 द्वारा उक्त आवेदित स्थल का निरीक्षण प्ररिक्षेत्र अधिकारी सहित प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदनानुसार स्थल पर स्थित कुल 1 नग ईमली वृक्ष लगभग 60–70 वर्ष पुराना है। जिसे ग्राम पंचायत सरदा एवं राजस्व विभाग द्वारा शासन के नियमानुसार नियमतः कटाई किये जाने की अनुमति दी जाती है, तो वन विभाग को काई आपत्ति नहीं होना लेख किया गया है।

क्र	मार्किंग	वृक्ष की प्रजाति	वृक्ष की गोलाई से.मी.में	अनुमानित उर्म	हालात
1	01	ईमली	370	70 वर्ष	जलाउ

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बेरला, जिला-बेमेतरा

of 1

राजस्व निरीक्षक सरदा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है की आवेदित भूमि खसरा नं 979/6 रकबा 0.0.02हे भूमि कौशल साहू पिता जेठू साहू के नाम पर दर्ज है। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम सरदा स्थित भूमि खसरा नं 979/6 रकबा 0.02हे भूमि पर कुल 01 नग ईमली प्रजाती के वृक्ष की कटाई अनुमति हेतु स्थल में उपस्थित हुए।आवेदक द्वारा मकान निर्माण हेतु (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु) उक्त वृक्ष की कटाई अनुमति चाह रहा है,जिसे काटने की अनुमति बाबत् अनुशंसा की गई है।

अतः प्रकरण में संलगन दस्तावेज, राजस्व निरीक्षक सरदा एवं कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, साजा, परिक्षेत्र, साजा के प्रतिवेदनमय पंचनामा का अवलोकन किया गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 61 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटन नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 वृक्ष कटाई नियम, 2022 के तहत्, ग्राम ग्राम सरदा प0ह0न0 17 तहसील बेरला जिला बेमेतरा छ0ग0 तहसील बेरला जिला बेमेतरा स्थित भूमि ख0न0 979/6 रकबा 0.02हे पर स्थित कुल 01 नग ईमली के वृक्ष को निम्नशर्ता के तहत् कटाई हेतु अनुमति दिया जाता है।

शर्ते :–

1. आवेदक उक्त 01 नग वृक्ष की कटाई के पूर्व काटे जाने वाले वृक्ष की यदि उम्र–10 वर्ष से कम है, तो प्रति वृक्ष पर न्यनतम 10 वृक्ष एवं अधिक उम्र वाले वृक्ष है, तो उसकी प्रति वृक्ष आयु की संख्या में वृक्ष सुरक्षित स्थान में लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा इन वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय आवेदक द्वारा किया जावेंगा एवं उक्त लगाये गये वृक्षों के रख–रखाव एवं उनको जीवित रखने का दायित्व भी आवेदक का ही होगा अथवा प्रत्येक वृक्ष 150.00 रू. के मान से प्रस्तावित वृक्षों की दूगनी संख्या की राशि संबंधित ग्राम पंचायत में जमा कराया जावें।

2. राजस्व एवं वन विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मौके पर संयुक्त निरीक्षण किया जावेगा तथा प्रश्नाधीन मार्ग पर प्रभावित वृक्षों को वन विभाग बेमेतरा के माध्यम से कटाई परिवहन एवं बिक्री कराई जावेगी। वृक्ष कटाई सवे लेकर वन विभाग के डिपो में रखने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही का विडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जावें।

3. वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग बेमेतरा के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग बेमेतरा द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा

रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जिला बेमेतरा (छ.ग.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा

बेरला दिनांक 21 / 05 / 2025

पृ.क्रमांक / 428/ अविअ / 2025
प्रतिलिपि :—

(1) वन मण्डलाधिकारी दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
(2) तहसीलदार बेरला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बेरला, जिला–बेमेतरा
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा